# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—69/2020/225 (2020/00069)

1. ओमसिंह पुत्र रायसिंह,
2. राजवीर सिंह पुत्र देवी सिंह,

दोनों जाति राजपूत, निवासी ग्राम इन्दोली, तहसील अंराई, जिला अजमेर

**अपीलांटस**

बनाम

1. बनवारी पुत्र छोटू गिरी, जाति गुसाई,
2. भागचन्द पुत्र छोटू गिरी, जाति गुसाई,

दोनों निवासी ग्राम इन्दोली, तहसील अंराई, जिला अजमेर ।

3. मंगलाराम पुत्र हरिकिशन, जाति जाट, निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील अंराई, जिला अजमेर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अंराई, जिला अजमेर ।
5. उप पंजीयक, उप पंजीयक विभाग, अंराई, जिला अजमेर ।

**रेस्पोडेंटस**

**अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ दिनांक 17.1.2020 अंतर्गत प्रकरण संख्या 121/2019.**

उपस्थितः—

1. श्री हेमसिंह राठौड़, वकील अपीलांटस ।
2. श्री सुण्डाराम जाट, वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 4 व 5.

## निर्णय

दिनांकः— 24.12.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 17.1.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण/रेस्पो0 के पेश कर कथन किया कि विवादित आराजियात खेवट खतौनी नई 32 पुरानी 30 खसरा नंबर 166 रकबा 6—5—00 किस्म छापर ग्राम इन्दोली तहसील अंराई में अवस्थित होकर वादीगण/अपीलांटस के कब्जे काश्त की आराजियात है । विवादित आराजियात अपीलांटस के पूर्वज के राज0काश्त0अधि0 1955 के आने से पूर्व संवत् 2010 से काश्त करते आ रहे है एवं संवत् 2010 से वादीगण/अपीलांटस का कब्जा काश्त आज दिनांक तक निर्बाध रूप से चला आ रहा है लेकिन उक्त भूमि को राजस्व कर्मचारियों ने गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता छोटू गिरी व माता मथुरा पत्नि छोटू गिरी के नाम दिनांक 1.2.2002 को आवंटन कर दिया और गलत रूप से बिना कब्जे काश्त के ही प्रतिवादीगण के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज कर दी । जबकि आवंटी छोटू गिरी व मथुरा का विवादित आराजियात पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी दर्ज होते ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने विवादित

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

आराजियात प्रतिवादी संख्या 3 को बेचान कर दी जिससे प्रतिवादी संख्या 3 ने वादीगण को मौके पर आकर हैरान व परेशान करना आरंभ कर दिया है जबकि वादीगण उक्त विवादित भूमि का बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार हो चुके है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 17.1.2020 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजियात अपीलांटस के पूर्वजों के कब्जे काश्त की आराजियात है जिस पर अपीलांटस सवंत् 2010 से काबिज काश्त चले आ रहे है । इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 के प्रभाव में आते समय वादीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे थे जिससे वादीगण उक्त भूमि के बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार हो गये थे जिससे प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटस के पक्ष में है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअदांज कर प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विवादित आराजियात अपीलांटस की पुश्तैनी कब्जे काश्त की आराजियात है जिस पर अपीलांटस बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है लेकिन गलत आवंटन की आड़ में रेस्पो0 विवादित आराजियात को अन्यंत्र रहन, बेचान व मुंतकिल करने पर आमादा है जिसमें यदि वे सफल हो गये तो अपीलांट अपनी पुश्तैनी कब्जे काश्त व खातेदारी काश्तकारी की भूमि से महरूम हो जायेगें जिससे अपीलांटस को अपूर्णीय क्षति कारित होगी । ऐसी स्थिति में ताफैसला मूल वाद रेस्पो0 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना न्यायोचित था । इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । वादग्रस्त भूमि पर अपीलांटस के पूर्वज तत्पश्चात् अपीलांटस काबिज काश्त चले आ रहे है । ऐसी स्थिति में अपीलांटस के कानूनी कब्जे को संरक्षण प्रदान करने के लिए अपीलांटस के हक में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक था । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर रेस्पो0 को ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । जमाबंदी संवत् 2059 से 2062 के खसरा संख्या 166 रकबा 6–5–00 बीघा भूमि दिनांक 1.6.2002 को नियमानुसार छोटू गिरी व मथुरा पत्नि छोटू गिरी को आवंटित की गई थी । उक्त आवंटन का नामांतकरण संख्या 142 दिनांक 5.10.2002 को आवंटियों के नाम तस्दीक किया गया । तत्पश्चात् आवंटन की शर्तो की पालना किये जाने से जरिये नामांतकरण संख्या 211 दिनांक 17.2.2008 से गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाकर राजस्व रिकार्ड में छोटू गिरी व मथुरा गिरी के नाम का अंकन किया गया है । मथुरा गिरी पत्नि छोटू गिरी के स्वर्गवास के उपरांत उसके 1/2 हिस्से का विरासत नामांतकरण संख्या 251 दिनांक 1.12.2010 को उसके विधिक वारिसान छोटूगिरी पुत्र लालूगिरी व बनवारी, भागचंद पुत्र छोटूगिरी के

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

नाम तस्दीक किया गया है । विवादित आराजियात पर प्रारंभ से रेस्पो0 का कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादग्रस्त भूमि खसरा नबर 166 के साथ्ज्ञ अन्य खसरा संख्या 167 व 168 का बैचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 2.1.2018 द्वारा विक्रेतागण छोटूगिरी हिस्सा 2/3, बनवारी, भागचंद पुत्र छोटूगिरी हिस्सा 1/3 संपूर्ण रकबे सहित अप्रार्थी संख्या 3 मंगलाराम के पक्ष में कर दिया गया है । उक्त विक्रय पत्र की पालना में अप्रार्थी संख्या 3 के नाम नामांतकरण संख्या 486 तस्दीक हो चुका है तथा क्रेता का विवादित भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पो0 विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिन्हें किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसर संख्या 166 रकबा 6–5–00 बीघा का आवंटन छोटूगिरी व मथुरा गिरी पत्नि छोटू गिरी को दिनांक 1.6. 2002 को आवंटित की गई है । उक्त आवंटन की पालना में आवंटियों के नाम गैर खातेदारी का नामांतकरण संख्या 142 दिनांक 5.10.2002 को भरा गया है । आवंटियों द्वारा आवंटन आदेश की पालना किये जाने पर गैर खातेदारी से खातेदारी का नामांतकरण संख्या 211 दिनांक 17.2. 2008 को तस्दीक किया गया है । खातेदार मथुरा पत्नि छोटूगिरी का स्वर्गवास होने पर उसकी विरासत का नामांतकरण संख्या 251 दिनांक 1. 12.2010 को छोटू गिरी पुत्र लालूगिरी एवं बनवानी व भागचंद पुत्र छोटूगिरी के नाम तस्दीक किया गया है । विवादित भूमि के उपरोक्त खातेदारों ने अन्य आराजियात के साथ खसरा नंबर 166 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 2.1.2018 द्वारा रेस्पो0 संख्या 3 को विक्रय किया है तथा उक्त विक्रय पत्र की पालना में क्रेता रेस्पो0 संख्या 3 के नाम नामांतकरण संख्या 486 तस्दीक किया जा चुका है । उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि रेस्पो0 विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा विधिनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता व माता को आवंटित हुई थी । अपीलांटस ने उक्त आवंटन आदेश को भी निरस्त कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 खारिज किया है जिसमें हमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.1.2020 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 24.12.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर